

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज


न्यायालय
पीठासीन

आ : 106 / 2023

तारीख
हुक्म

29/08/23

पत्रावली राज पेशा हुयी वकील डाकी उपर
 विद्याधीगण मनुप्रस्थित। विद्याधीगण को
 कोर्ट समय में तीन बार तीन-तीन कागज
 डिलाने गये। कावर्ड कागज डिलाने के
 विद्याधीगण मनुप्रस्थित। मः विद्याधीगण
 के विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही की जाती
 है। वकील डाकी के पत्रावली पर बहक
 हुयी गयी कोर्ट का हुक्म के विरुद्ध
 जाकर हुये न्यायालय हुक्म का जमाना।
 कोर्ट की पालनाई तद्वीर जारी है।
 पालना जात होने पर इतिहास पत्रावली
 की जोडी पत्रावली विरुद्ध हुक्म होकर
 इतिहास हुक्म है।


 भूपवर्ष अधिकारी, गुडामालानी

पत्रावली मय भगवान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

संख्या : 106 / 2023

धीगण :-

1. हरजीराम पुत्र भगाराम
जाति जाट निवासी हुड्डासर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. केसाराम पुत्र बुधराम
2. केसी पत्नी धूडाराम
3. नारणाराम पुत्र बुधराम
4. भंवसाराम पुत्र बुधराम
5. हुकमाराम पुत्र धूडाराम जाति प्रजापत निवासी रोली
6. उरजा पुत्र देवा
7. कुम्भाराम पुत्र ईशराराम
8. गंगादेवी पत्नी कानाराम
9. चेतनराम पुत्र चिमाराम
10. चूनाराम पुत्र प्रहलादराम
11. चम्पा पुत्र प्रहलादराम
12. दूदाराम पुत्र कानाराम
13. धनाराम पुत्र चिमाराम (नाबालिंग की यली माता भंवरीदेवी)
14. प्रभुराम पुत्र प्रहलादराम
15. पूराराम पुत्र दमाराम
16. भीयाराम पुत्र ईशराराम
17. मोहनराम पुत्र ईशराराम
18. रेखाराम पुत्र कानाराम
19. रूपाराम पुत्र दमाराम
20. हरजीराम पुत्र कानाराम
जाति प्रजापत निवासी रोली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
21. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

--: आदेश :-

दिनांक :- 29.08.2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 243/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के

चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की गांठें नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक विद्वानों के समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 243/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी मीड कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (वाड़मेर)

दिनांक : 31/8/23

वाद/2023/1047

बनाम

विप्रार्थीगण

हरजीराम

केसाराम वगैरा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु
नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी


निर्णय दिनांक :- 29.08.2023

राजस्व आवेदन सं.....106/2023..

--: आदेश :-

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम रोली के खेत खसरा नम्बर 243/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली.....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीश रुपये500/-...प्रार्थीगण अदा करेंगे।


उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

दिनांक : 31/8/23

क्रमांक: वाद/2023/1048-49
प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. थानाधिकारी.....गुडामालानी
3. भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली।
4. हल्का पटवारी....बांटा. को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण.....हरजीराम पुत्र भगाराम
6. विप्रार्थीगण.....केसाराम वगैरा....


उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी